अध्याय-2

राज्य सभा की संरचना

संवैधानिक उपबंध

संसद् राष्ट्रपति और दो सदनों अर्थात् राज्य सभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और लोक सभा (हाउस ऑफ द पीपल) से मिलकर बनती है।[1] संविधान के हिन्दी रूपान्तर में इन सदनों का नाम राज्य सभा और लोक सभा है। संविधान (अंग्रेजी पाठ) में ''काउंसिल ऑफ स्टेट्स'' और ''हाउस ऑफ द पीपल'' नामों को आज भी मान्यता मिली हुई है। किन्तु वास्तविक व्यवहार में अंग्रेजी में भी इन सदनों को राज्य सभा और लोक सभा के नाम से जाना जाता है।

14 मई, 1954 को लोक सभा के अध्यक्ष ने घोषणा की कि हाउस ऑफ द पीपल को लोक सभा के नाम से जाना जाएगा।[2] 23 अगस्त, 1954 को राज्य सभा के सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की:

> ''प्रधान मंत्री और काउंसिल (परिषद्) के नेता की सहमति से मैंने निर्णय किया है कि कांउसिल ऑफ स्टेट्स को ''राज्य सभा'' और उसके सचिवालय को ''राज्य सभा सचिवालय'' कहा जायेगा।''[3]
> किन्तु तत्कालीन राज्य सभा सदस्य और इतिहासकार डा॰ राधा कुमुद मुकर्जी ने यह सुझाव दिया था कि ''काउंसिल ऑफ स्टेट्स'' को ''राष्ट्र सभा'' कहना उपयुक्त होगा।[4]

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।[5] राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।[6] राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन संविधान की चौथी सूची में नियत किया गया है।[7] राज्य सभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।[8] संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाते हैं जो संसद् विधि द्वारा विहित करे।[9]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के भाग 4क में राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित स्थानों को भरने की रीति का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 27क में उपबंध किया गया है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसी संघ राज्यक्षेत्र को आवंटित स्थान या स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसे राज्य क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक-मंडल होगा।[10] दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) को अधिनियमित किए जाने से पहले संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के निर्वाचक-मंडल में दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् के निर्वाचित सदस्य होते थे। अब संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के निर्वाचक-मंडल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी

राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 के अधीन गठित दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।[11] पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचक-मंडल में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के अधीन पांडिचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं।[12] राज्य सभा में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव और चंडीगढ़ के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।

चौथी अनुसूची (26 नवम्बर, 1949 की स्थिति के अनुसार)

1949 में जब संविधान को अंगीकृत किया गया था, तब राज्य सभा के लिए 217 सदस्य थे जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे और बाकी 205 सदस्यों को राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होना था। संविधान की मूल चौथी अनुसूची के अनुसार स्थानों का आवंटन इस प्रकार था:

भाग क राज्य		भाग ख राज्य		भाग ग राज्य	
असम	6	हैदराबाद	11	अजमेर, कुर्ग	1
बिहार	21	जम्मू-कश्मीर	4		
बम्बई	17	मध्य भारत	6	भोपाल	1
मध्य प्रदेश	12	मैसूर	6	बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	1
मद्रास	27	पटियाला और पूर्वी पंजाब			
उड़ीसा	9	के राज्यों का संघ	3	कूच बिहार	1
पंजाब	8	राजस्थान	9	दिल्ली	1
संयुक्त प्रांत	31	सौराष्ट्र	4	कच्छ	1
पश्चिमी बंगाल	14	त्रावणकोर-कोचीन	6	मणिपुर, त्रिपुरा	1
		विन्ध्य प्रदेश	4		
योग:	**145**	**योग:**	**53**	**योग:**	**7**

स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया था जिसका निश्चय संविधान के पारित होने के समय पर उपलब्ध जनगणना आंकड़ों से किया गया था। उन राज्यों के मामलों में जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी, प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या इस सूत्र के अनुसार निर्धारित की गई थी: ''पहले 50 लाख के लिए प्रत्येक 10 लाख पर एक स्थान और एक स्थान प्रत्येक अतिरिक्त 20 लाख या उसके भाग के लिए, जो 10 लाख से अधिक हो।''[13]

चौथी अनुसूची (26 जनवरी, 1950 की स्थिति के अनुसार)

संविधान के अनुच्छेद 392(3) के साथ पठित अनुच्छेद 391[14] में उपबंध था कि यदि संविधान के पारित होने और उसके प्रारम्भ के बीच किसी भी समय भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्यवाही की जाएगी जिससे चौथी अनुसूची में कोई संशोधन करना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में भारत डोमिनियन के गवर्नर-जनरल को उक्त अनुसूची में आदेश द्वारा ऐसे संशोधन करने के

लिए सशक्त किया गया है और, इसके अतिरिक्त, जब चौथी अनुसूची को इस प्रकार संशोधित किया जाए तो संविधान में उस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश होगा। तद्नुसार, गवर्नर-जनरल ने संविधान (पहली तथा चौथी अनुसूचियों का संशोधन) आदेश, 1950 नामक आदेश दिया जिसमें चौथी अनुसूची में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित संशोधन किए गए थे:

(क) अनुसूची के भाग क में, ''संयुक्त प्रांत'' का नाम बदल कर ''उत्तर प्रदेश'' कर दिया गया;

(ख) भाग ख में ''विन्ध्य प्रदेश'' से संबंधित प्रविष्टि का लोप कर दिया गया (जिससे उस भाग के अंतर्गत कुल योग 53 से घटकर 49 हो गया);

(ग) भाग ग में-(1) ''कूच बिहार'' से संबंधित प्रविष्टि का लोप कर दिया गया; और (2) ''विन्ध्य प्रदेश'' से संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की गई (जिससे उस भाग के अंतर्गत कुल योग 7 से बढ़कर 10 हो गया); और

(घ) सारणी के अंत में कुल संख्या 205 से घटकर 204 हो गई।[15]

इस प्रकार जब 26 जनवरी, 1950 को संविधान प्रवृत्त हुआ तब राज्य सभा 216 सदस्यों से मिलकर बननी थी जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे और शेष 204 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित होने थे।

राज्य सभा — प्रारंभिक गठन

अंत:कालीन संसद् ने संविधान के अनुच्छेद 379 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) को अधिनियमित किया जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ संसद् के दो सदनों का और राज्य विधान-मंडलों का यथोचित रूप से गठन करना और उनके लिए निर्वाचन कराना था।

तत्कालीन अनुच्छेद 80(4) में उपबंध किया गया था कि भाग क या भाग ख राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्य सभा में अपने-अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे जबकि अनुच्छेद 80(5) के द्वारा संसद् को शक्ति दी गई थी कि वह विधि द्वारा यह विहित करेगी कि भाग (ग) के राज्यों द्वारा राज्य सभा में अपने प्रतिनिधियों को किस रीति से चुना जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (धारा 27क से 27ट) ने इस प्रयोजन के लिए भाग (ग) के प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचक-मंडल का सृजन किया। इस अधिनियम द्वारा यह भी नियत किया गया कि जहां पर विधान सभा है वहां उसके सदस्यों से मिलकर निर्वाचक-मंडल बनेगा। भाग (ग) राज्य शासन अधिनियम, 1951 (1951 का 49) में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश के भाग (ग) राज्यों की विधान सभाओं के गठन का उपबंध किया गया। अत: इन विधान सभाओं के सदस्य राज्य सभा में अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण बने। जहां तक भाग (ग) के बाकी तीन राज्यों अर्थात् कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा का संबंध था, वहां कोई विधान सभाएं नहीं थीं। अत: राज्य सभा में उन्हें आवंटित किए गए स्थानों को भरने के प्रयोजन से 1950 के अधिनियम में अधिनियम की धारा 27ग के अधीन दिए गए एक आदेश द्वारा राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्येक के लिए 30 सदस्यों के निर्वाचक-मंडल के गठन का उपबंध किया गया।

दिसम्बर, 1951 और जनवरी, 1952 के दौरान लोक सभा और विभिन्न राज्य विधान सभाओं आदि के लिए निर्वाचन हुए। 4 मार्च, 1952 को सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और कच्छ तथा त्रिपुरा के निर्वाचक-मंडलों से कहा गया कि वे राज्य सभा के लिए प्रतिनिधियों को निर्वाचित करें। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, राज्यों के समूहों के लिए दो स्थानों का आवंटन किया गया था — एक स्थान

अजमेर और कुर्ग और एक स्थान मणिपुर और त्रिपुरा से बने हुए समूह के लिए था। प्रारंभिक गठन के समय अजमेर-कुर्ग समूह के लिए आवंटित स्थान अजमेर द्वारा भरा गया और मणिपुर-त्रिपुरा समूह का स्थान त्रिपुरा द्वारा भरा गया। राज्य सभा के लिए निर्वाचन के विभिन्न चरणों की तारीखें इस प्रकार थीं:

(क) 13 मार्च, 1952—नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख;

(ख) 14 मार्च, 1952—नामनिर्देशनों की जांच की अन्तिम तारीख;

(ग) 17 मार्च, 1952—उम्मीदवारी वापस लेने की अन्तिम तारीख;

(घ) 27 मार्च, 1952—निर्वाचन कराने की तारीख; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1952—तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरे कराए जाने थे।[16]

उपरोक्त समय-सूची के अनुसार मार्च, 1952 के अन्त तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन कराए गए और पूरे किए गए।[17]

राज्य सरकार की सिफारिश पर जम्मू और कश्मीर के चार प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा चुना गया, जैसाकि संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1950 (संविधान आदेश 10) द्वारा अपेक्षित था। वास्तविक व्यवहार में राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने में उस राज्य की संविधान सभा के सर्वसम्मत संकल्प को कार्यान्वित किया।[18]

संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954, तारीख 14 मई, 1954 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य से राज्य सभा में होने वाली सभी भावी रिक्तियों को जम्मू और कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरा जाना था। इस प्रकार का पहला निर्वाचन नवम्बर, 1954 में हुआ।[19]

स्थानों को भरने के लिए निर्वाचनों में निर्वाचित उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख करने वाली घोषणाएं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 67 के अधीन 31 मार्च, 1952 को प्रकाशित की गईं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अधीन भाग (क) और भाग (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों, भाग (ग) राज्यों के निर्वाचक-मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों, जम्मू-कश्मीर के नामनिर्देशित सदस्यों और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित 12 सदस्यों के नामों को उक्त अधिनियम की धारा 71 के अधीन 3 अप्रैल, 1952 को प्रकाशित किया गया।[20] इस प्रकार संविधान के अधीन, उस दिन राज्य सभा का प्रारम्भ में गठन हुआ।

चौथी अनुसूची (1956 में यथासंशोधित)

चौथी अनुसूची का संशोधन आंध्र राज्य अधिनियम, 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्रों का अंतरण) अधिनियम, 1956 द्वारा किया गया। यथासंशोधित अनुसूची को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन निम्नलिखित अनुसूची के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया।[21] राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच स्थानों का नया आवंटन इस प्रकार था:

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	स्थानों का आवंटन
1. आंध्र प्रदेश	18
2. असम	7

	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	स्थानों का आवंटन
3.	बिहार	22
4.	बम्बई	27
5.	केरल	9
6.	मध्य प्रदेश	16
7.	मद्रास	17
8.	मैसूर	12
9.	उड़ीसा	10
10.	पंजाब	11
11.	राजस्थान	10
12.	उत्तर प्रदेश	34
13.	पश्चिमी बंगाल	16
14.	जम्मू और कश्मीर	4
15.	दिल्ली	3
16.	हिमाचल प्रदेश	2
17.	मणिपुर	1
18.	त्रिपुरा	1
	योग:	**220**

संरचना में परिवर्तन

राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के बनाए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित किए गए निर्वाचन वाले स्थानों में 1952 से समय-समय पर वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

सारणी-1

वर्ष		निर्वाचन वाले स्थानों की कुल संख्या
1952	जैसाकि संविधान में प्रारंभ में उपबंध किया गया था।	204
1954	आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 (1953 का 30), धारा 6 के द्वारा तीन स्थानों की वृद्धि।	207
1956	तेरह स्थानों की वृद्धि, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:	220

वर्ष		निर्वाचन वाले स्थानों की कुल संख्या
	(क) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37), धारा 23 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के कारण एक स्थान।	
	(ख) बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्रों का अन्तरण) अधिनियम, 1956 (1956 का 40), धारा 5 के द्वारा तीन स्थान।	
	(ग) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 3 के द्वारा नौ स्थान; असम, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश को एक-एक अतिरिक्त स्थान दिया गया; उत्तर प्रदेश और दिल्ली को क्रमशः तीन और दो अतिरिक्त स्थान दिए गए; मणिपुर और त्रिपुरा दोनों के लिए पहले जो एक स्थान दिया गया था उसके बजाय दोनों को एक-एक स्थान दिया गया।	
1960	चार स्थानों की वृद्धि—आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56), धारा 8 के द्वारा मद्रास को एक स्थान और बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11), धारा 6 के द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए परस्पर तीन स्थान।	224
1964	दो स्थानों की वृद्धि—नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27), धारा 6 द्वारा नागालैंड के लिए एक स्थान और संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962, धारा 6 द्वारा पांडिचेरी के लिए एक स्थान।	226
1966	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31), धारा 9 के द्वारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए परस्पर दो स्थानों की वृद्धि।	228
1972	तीन स्थानों की वृद्धि—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971(1971 का 81), धारा 10 द्वारा मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक-एक स्थान।	231
1976	संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975, धारा 4 द्वारा एक स्थान (सिक्किम को आवंटित) की वृद्धि।	232
1987	गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18), धारा 6 द्वारा एक स्थान (गोआ को आवंटित) की वृद्धि।	233

स्थानों का वर्तमान आवंटन

संविधान में राज्य सभा की अधिकतम सदस्यता 250 निर्धारित की गई है। किन्तु इस समय सदस्य-संख्या 245 है जिसमें से राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 233 है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा

नामनिर्देशित हैं। इस समय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन इस प्रकार है:

सारणी–2

	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	7
4.	बिहार	16[22]
5.	छत्तीसगढ़[23]	5
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	11
8.	हरियाणा	5
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	4
11.	झारखण्ड[23]	6
12.	कर्णाटक	12
13.	केरल	9
14.	मध्य प्रदेश	11[22]
15.	महाराष्ट्र	19
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	उड़ीसा	10
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	10
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	18
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तरांचल[23]	3

	राज्य	सदस्यों की संख्या
27.	उत्तर प्रदेश	31[22]
28.	पश्चिमी बंगाल	16
29.	दिल्ली	3
30.	पांडिचेरी	1
	कुल योग:	233

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अनुच्छेद 79
2. लोक सभा वाद-विवाद, 14.5.1954
3. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.8.1954
4. -वही-
5. अनुच्छेद 80(1)
6. -वही- 80(3)
7. -वही- 80(2)
8. -वही- 80(4)
9. -वही- 80(5)
10. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 धारा 27क(1)
11. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 27क(3), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 55 द्वारा यथासंशोधित
12. -वही- धारा 27क(4)
13. शिवा राव बी॰, फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टीट्यूशन-ए स्टडी (1968), पृष्ठ 422
14. अब संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित
15. असाधारण राजपत्र, 25.1.1950, अधिसूचना सं॰ आ॰ 3
16. **देखिए,** रिपोर्ट ऑन दि फर्स्ट जनरल इलेक्शन्स इन इंडिया, 1951-52, वोल्यूम-I, पृ॰ 107
17. 1952 में राज्य सभा निर्वाचनों में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम अधिमान मतों की संख्या के ब्यौरे के लिए **देखिये,** रिपोर्ट ऑन दि फर्स्ट जनरल इलेक्शन्स इन इंडिया, 1951-52, वोल्यूम-II, पृष्ठ 170-79
18. रिपोर्ट ऑन दि फर्स्ट जनरल इलेक्शन्स इन इंडिया, 1951-52, वोल्यूम-I, पृष्ठ 149-51
19. -वही- पृ॰ 14
20. विधि मंत्रालय अधिसूचना सं॰ च॰ 24(4)/52-ग, 31.3.1952 और 10(15)/52-ग, 3.4.1952, उस तिथि का असाधारण राजपत्र [I(i)]

21. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 3

22. **देखिये**, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 7; मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 7 और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 7

23. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000; बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा क्रमशः तीन राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल का सृजन किया गया है।